कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक— शिविरा—मा/संस्था/गोप्र/मॉड्यूल/2022—23 दिनांक— 13-07-2023

कार्यालय आदेश

कार्मिक विभाग के पत्रांक प.13(51)कार्मिक/क—1/गो.प्र./02354 जयपुर दिनांकः 30.06.2023 के द्वारा ऑनलाईन एपीएआर भरने एवं ऑटो फॉरवर्ड/अप्रूवल किये जाने हेतु समय सीमा दिनांक 30.06.2023 से बढाकर 31.07.2023 की गई है। उक्त आदेश अनुसरण में शिक्षा विभाग के लोकसेवकों का जिनका वार्षिक कार्य मूल्याकंन प्रतिवेदन हेतु सत्र 31 मार्च को पूर्ण होता है, कि वार्षिक कार्य मूल्याकंन प्रतिवेदन ऑनलाईन भरने एवं Auto Forward/Approval किये जाने हेतु समय सीमा दिनांक 30.06.2023 को बढाकर दिनांक 31.07.2023 तक की जाती है।

संबंधित लोकसेवकों एवं अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वर्ष 2022—23 शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन वार्षिक कार्य मूल्याकंन प्रतिवेदन की प्रविष्टि इस कार्यालय के परिपत्र/पत्र दिनांक 23.11.2020, 20.07.2021, 16.06.2022, 22.04.2023 एवं कार्मिक विभाग द्वारा समय—समय पर जारी अनुदेश/परिपत्र में प्रदत्त निर्देशों की पालना के साथ किया जाना सुनिश्चित करें।

Rajasthan Education Department

(काना राम)
I.A.S.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक— शिविरा—मा/संस्था/गोप्र/मॉड्यूल/2022—23 दिनांक— 13-07-2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

1. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., जयपुर ।
2. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को प्रति प्रेषित कर लेख है कि अपने क्षेत्राधिकार में समस्त अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा उक्त आदेश की पालना की सुनिश्चितता करें।
3. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक/माध्यमिक।
5. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
6. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने बाबत।
7. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
8. समस्त प्रतिवेदित/प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकारकर्ता अधिकारी एवं लोकसेवक शिक्षा विभाग, राजस्थान को पालनार्थ।
9. रक्षित पत्रावली।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

Signature valid
Digitally signed by Kana Ram
Designation: Director
Date: 2023.07.13 0?:46:31 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4207865